उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-53/2018/एस-2-2357/दस-2018-88क(2)/2017
लखनऊ :: दिनाँक:: 01 नवम्बर, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री नील रतन कुमार, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री अजय गुप्ता, वित्त नियंत्रक, राज्य आपदा प्राधिकरण, लखनऊ। (वित्त नियंत्रक,अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ)	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-53/2018/एस-2-2357(1)/दस-2018-88क(2)/2017, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/ कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज(इलाहाबाद)।
6- मुख्य, कोषाधिकारी, लखनऊ ।
7- संबंधित अधिकारीगण।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।